न्यायालय – अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैतारण, जिला ब्यावर, राज.

पीठासीन अधिकारी : ज्योति पटेल, आर.जे.एस.

फौजदारी नियमित प्रकरण संख्या 06/2016

परिवादी :

आदूराम पुत्र बद्रीलाल, निवासी जैतारण प्रोपराईटर राम भरोसे हार्डवेयर स्टोर जैतारण, जिला ब्यावर।

बनाम

अभियुक्त :

प्रकाश पुत्र रमजी, निवासी लितरिया हाल मोदियों की गली मैन बाजार, पुलिस थाना, जैतारण, जिला ब्यावर

अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881

उपस्थित :

(1) श्री जगदीश सिंह सोलंकी, विद्वान अधिवक्ता – वास्ते परिवादी।

(2) श्री प्रद्युमन श्रीमाली, विद्वान अधिवक्ता – वास्ते अभियुक्त।

निर्णय **दिनांक : 15.07.2026**

01. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी आदूराम ने एक परिवाद अन्तर्गत धारा 138 एन.आई. एक्ट न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि मुस्तगीस व मुलजिम के आपस में अच्छी जान पहचान होने से मुलजिम ने मुस्तगीस की राम भरोसे हार्डवेयर स्टोर जैतारण की दुकान से चद्दरे, ऐंगल आदि सामान खरीदकर रूपये 35,000/–अक्षरे पैंतीस हजार रूपये उधार रखे। मुस्तगीस द्वारा मुलजिम से उधार रूपये 35,000/–अक्षरे पैंतीस हजार रूपये मांगने पर मुलजिम ने दिनांक 23.10.2015 को उक्त उधार रूपये चुकाने के लिए एक चैक संख्या 014154 दिनांक 23.10.2015 को स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा जैतारण का उक्त चैक की संपूर्ण प्रविष्टियां पूर्ण कर मुलजिम ने अपने हस्ताक्षर कर मुस्तगीस को जैतारण में दिया। मुलजिम द्वारा दिये गये चैक संख्या 014154 रूपये 35,000/–अक्षरे पैंतीस हजार रूपये के भुगतान क्लिेरिफिकेशन हेतु स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा जैतारण में मुस्तगीस ने दिनांक 02.12.2015 को पेश किया गया। मुलजिम व मुस्तगीस की दुकान का खाता एक ही बैंक शाखा मे होने से स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा जैतारण ने मुलजिम के खाते में अपर्याप्त राशि होने का रिमार्क लगाकर दिनांक 05.12.2015 को मुस्तगीस का उक्त चैक व चैक वापसी ज्ञापन व रिटर्न मीमो दिया। तब मुस्तगीस को दिनांक 05.12.2015 को उक्त चैक संख्या 014154 अनाधिकृत होने की सूचना मिली। मुलजिम के बैंक खाता स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा जैतारण में रूपये जमा नहीं होते हुए भी

मुलजिम ने मुस्तगीस के नाम रूपये 35,000/—अक्षरे पैंतीस हजार रूपये का उक्त चैक संख्या 014154 दिनांक 23.10.2015 को जानबूझकर कि मुलजिम के खाते में पर्याप्त राशि नहीं है फिर भी मुलजिम ने गलत व कपटपूर्वक बदनियति से मुस्तगीस को मुलजिम ने उक्त चैक जारी किया जिससे मुलजिम की उक्त रूपये हड़पने करने व मुस्तगीस को धोखा देने की नियत साफ जाहिर होती है। उक्त चैक संख्या 014154 रूपये 35,000/—अक्षरे पैंतीस हजार रूपये का मुलजिम द्वारा मुस्तगीस को देकर अपराध कारित किया है। मुलजिम के नाम का उक्त चैक अनाधिकृत होने के बाद मुस्तगीस ने मुलजिम को दिनांक 22.12.2015 को एक रजिस्टर्ड/एडी नोटिस दिया गया जो इस नोट के साथ वापस प्राप्त हुआ कि बार बार जाने पर भी प्राप्तकर्ता इस पते पर नहीं मिला जो रजिस्टर्ड लिफाफा मय एडी के वापस दिनांक 30.12.2015 को मिला जो इस्तगासा के साथ पेश है। अतः परिवाद मय शपथ पत्र पेश कर अभियुक्त द्वारा परिवादी को परिवाद में वर्णित दिये गये चैक की राशि का चैक अनादरित होने व बावजूद नोटिस के राशि अदा नहीं करने से अभियुक्त ने धारा 138 एन.आई.एक्ट 1881 का अपराध किया, जिससे सख्त सजा दिलवाए जाने व चैक में वर्णित राशि रूपये 35,000/— अक्षरे बहतर पैंतीस हजार रूपये की दुगनी राशि 70,000/—अक्षरे सत्तर हजार रूपये का जुर्माना व सजा से दंडित किए जाने का निवेदन किया। परिवाद के समर्थन में परिवादी ने धारा 200 दं.प्र.सं., 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत शपथ—पत्र प्रस्तुत किया तथा दस्तावेजों के रूप में विवादित चैक, चैक अनादरण मीमो, विधिक नोटिस, डाक रसीद, पावती रसीद प्रस्तुत की।

02. अभियुक्त प्रकाश के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 का अपराध प्रथमदृष्टया बनना पाए जाने पर दिनांक 20.01.2016 को प्रसंज्ञान लिया जाकर अभियुक्त को तलब किया गया व अभियुक्त के उपस्थित आने पर दिनांक 20. 05.2025 को अभियुक्त को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अपराध बाबत् आरोप सारांश सुनाया व समझाया गया, जिसे सुन व समझकर आरोप अस्वीकार कर अभियुक्त ने अन्वीक्षा चाही।

03. अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध को साबित करने के लिए परिवादी पक्ष की ओर से साक्षी आदूराम ने स्वयं को पी.डब्ल्यू. 01 के तौर पर परीक्षित करवाया व दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 01 असल चैक, प्रदर्श 02 रसीद, प्रदर्श 03 रिटर्न मीमो, प्रदर्श 04 बिल्स रिटर्निंग मीमो, प्रदर्श 05 नोटिस, प्रदर्श 06 पोस्टल रसीद, प्रदर्श 07 रजिस्टर्ड ए.डी. लिफाफा को प्रदर्शित करवाये।

04. परिवादी साक्ष्य की समाप्ति पर दिनांक 15.04.2026 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अभियुक्त को परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व झूठा फंसाया जाने का कथन किया। **साक्ष्य प्रतिरक्षा में**

अभियुक्त द्वारा मौखिक साक्ष्य में स्वयं को डी.डब्ल्यू 01 के तौर पर परीक्षित करवाया ।

05. बहस अन्तिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान **अधिवक्ता–परिवादी** ने कथन किये कि परिवादी ने अपनी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा चैकग्रस्त राशि उधार लेना व चैक प्रदर्श 01 देना, चैक अनादरित होना, अभियुक्त को विधिक नोटिस प्रेषित कर रूपयों की मांग करना, फिर भी अभियुक्त द्वारा राशि अदा नहीं करना संदेह से परे साबित किया है। अभियुक्त को आरोपित अपराध बाबत् दोषसिद्ध घोषित किया जाकर परिवादी को चैकग्रस्त राशि की दुगुनी राशि बतौर क्षतिपूर्ति दिलाने व कारावास से दण्डित किए जाने का निवेदन किया।

06. इसके विपरीत **विद्वान् अधिवक्ता–अभियुक्त** ने कथन किये कि अभियुक्त ने स्वयं की साक्ष्य से, परिवादी की साक्ष्य से संभावना बाहुल्य द्वारा परिवादी से कोई राशि उधार नहीं लेना, ना ही परिवादी द्वारा उक्त राशि देना व ना ही परिवादी को चैक प्रदर्श 01 देना साबित किया है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किए जाने का निवेदन किया।

07. उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया गया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि :–

1. **क्या अभियुक्त ने परिवादी से चद्दरे, ऐंगल आदि खरीद कर 35,000/– अक्षरे पैंतीस हजार रूपये उधार रखे एवं उक्त राशि की मांग करने पर दिनांक 23.10.2015 को अभियुक्त ने परिवादी को अपनी बैंक स्टेट बैंक आफॅ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा जैतारण का चैक संख्या 014154 तादादी 35,000/– रूपये अक्षरे पैंतीस हजार रूपये दिनांकित 23.10.2015 का दिया जिसे परिवादी ने भुगतान प्राप्त करने हेतु नियत समय अवधि में अपनी बैंक स्टेट बैंक आफॅ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा जैतारण में दिनांक 02.12.2015 को भुगतान संग्रहण हेतु प्रस्तुत किया जिस पर समाशोधन के दौरान अभियुक्त के बैंक खाता में पर्याप्त राशि नहीं होने से उक्त चैक अपर्याप्त राशि की टिप्पणी के साथ मय रिटर्न मीमो अनादरित होकर दिनांक 05.12.2015 को परिवादी को वापस प्राप्त हो गया जिसकी बाद परिवादी ने दिनांक 22.12.2015 को अभियुक्त को उसके सही पते पर जरिये अधिवक्ता नोटिस प्रस्तुत कर चैकग्रस्त राशि की मांग की जो नोटिस अभियुक्त को नोटिस में अंकित पते पर नहीं मिलने की टिप्पणी के साथ वापस प्राप्त हो गया। जिसके बाद भी अभियुक्त ने परिवादी का चैकग्रस्त राशि का भुगतान नहीं कर अभियुक्त द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध कारित किया?**
2. **यदि हाँ, तो अभियुक्त किस दण्ड/आदेश का दायी होगा?**

08. उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में सर्वप्रथम विधिक उपधारणा की बात करें तो परिवादग्रस्त चैक पर अभियुक्त के हस्ताक्षर हैं जिसे अभियुक्त ने अपनी जिरह में स्वीकार भी किया है। ऐसे में परिवादग्रस्त चैक, चैकग्रस्त राशि की अदायगी

हेतु अभियुक्त द्वारा परिवादी को दिए जाने की खंडनीय उपधारणा परिवादी के पक्ष में है। ऐसे में अभियुक्त को यह साबित करना है कि उसने परिवादग्रस्त चैक परिवादी को नहीं दिया व परिवादी चैकग्रस्त राशि अभियुक्त से प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। जिसे अभियुक्त संभाव्य बाहुल्य द्वारा स्वयं परिवादी की साक्ष्य से व अपनी साक्ष्य से साबित कर परिवादी के मामले बाबत संशय उत्पन्न कर सकता है।

उक्त क्रम में सर्वप्रथम परिवादग्रस्त संव्यवहार के अवसर बाबत तथ्यों को देखें तो परिवादी ने अभियुक्त द्वारा स्वयं की दुकान राम भरोसे हार्डवेयर स्टोर जैतारण से चद्दरे, ऐंगल आदि सामान की खरीद पेटे चैकग्रस्त राशि बकाया होना परिवाद में अंकित किया जिस क्रम में परिवादी ने न तो उक्त सामान बेचान व क्रय की दिनांक आदि अंकित की न ही कोई दर व नग। उक्त तथ्यों को अभियुक्त ने परिवादी से जिरह में प्रश्नगत किया जिसमें परिवादी ने कथन किया कि ''अभियुक्त को किस कम्पनी की चद्दरे व पाईप दिया याद नहीं, क्या-क्या दिया पूरा याद नहीं, बिल मैंने बनाया था, बिल पत्रावली पर पेश नहीं किया, बिल आज भी मेरे रिकॉर्ड में नहीं है, चद्दरे व पाईप कितने-कितने रूपये के थे याद नहीं''। इस प्रकार परिवादी उस विषयवस्तु का कोई विवरण नहीं बता सका जिसकी खरीद के बकाया पेटे प्रश्नगत चैक दिया गया हो, न ही बिल आदि पेश किया जिससे प्रथमतः यह तथ्य ही संशयपूर्ण हो जाता है कि अभियुक्त ने परिवादी से कोई माल क्रय किया हो। इसी क्रम में महत्वपूर्ण तथ्य यह भी देखना है कि क्या परिवादी रामभरोसे हार्डवेयर का प्रोपराईटर भी है या नहीं क्योंकि परिवादी ने चैक स्वयं को उक्त फर्म का प्रोपराईटर बता प्राप्त कर उपयोग में लेना बताया जिस क्रम में परिवादी ने जिरह में यह तथ्य स्वीकार किया है कि वह रामभरोसे हार्डवेयर का प्रोपराईटर हो इस बाबत उसने कोई दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं किया जिससे यह तथ्य साबित नहीं होता कि परिवादी आदूराम ही उक्त फर्म का प्रोपराईटर हो एवं विधिक क्रम में परिवादग्रस्त चैक का धारक होते हुए हस्तगत प्रकरण की कार्यवाही संस्थित करने का अधिकारी हो जिससे की परिवादी ही परिवादग्रस्त चैक बाबत हस्तगत प्रकरण की कार्यवाही करने की क्षमता ही साबित नहीं होती।

अब अगर परिवादग्रस्त चैक परिवादी को देने, इबारतें व उस बाबत कार्यवाही बाबत तथ्यों व साक्ष्य की बात करें तो परिवादी ने उक्त बाबत तथ्य परिवाद व साक्ष्य शपथ पत्र में तो लिखें लेकिन जिरह में परिवादी ने बताया कि चैक किस तारीख को बैंक में लगाया, तारीख याद नहीं, तीन-चार दिन बाद लगाया था, खाता स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर में था, अभियुक्त का किस बैंक में खाता था पता नहीं, चैक एसबीआई का था, नोटिस किस तारीख को दिया पता नहीं। प्रदर्श पी. 03 अनुसार चैक दूसरी बार बैंक में प्रस्तुत किया था। दूसरी बार चैक बैंक में प्रस्तुत

करने की रसीद पत्रावली में पेश नहीं की, बैंक ने चैक कितने दिनों में रिटर्न किया समय याद नहीं। इस प्रकार परिवादी के उपरोक्त कथनों से यह दर्शित होता है कि परिवादी को परिवादग्रस्त चैक बाबत कोई तथ्य पता नहीं है। परिवादी ने तो परिवादग्रस्त चैक व स्वयं के बैंक तक का नाम सहीं नहीं बताया, न ही चैक रिटर्न, चैक बैंक में लगाने इत्यादि बाबत तथ्य बताए व मात्र याद नहीं होना, पता नहीं होना बताकर इतिश्री कर चैक बाबत प्रकरण पूर्व कोई कार्यवाही स्वयं करने को साबित नहीं कर सका।

इसी क्रम में विधिक नोटिस की बात करें तो अभियुक्त को प्रस्तुत विधिक नोटिस मिला या नहीं तो परिवादी के अनुसार नोटिस इस टिप्पणी के साथ लौटा कि ''बार–बार जाने पर भी प्राप्तकर्ता इस पते पर नहीं मिला'' जो स्पष्ट दर्शाता है कि अभियुक्त को नोटिस सही पते पर नहीं भेजा गया। उक्त संबंध में मूल लिफाफे को देखें तो उस पर मोदियों की गली मेन बाजार अंकित है व परिवादी जिरह में अभियुक्त को लितरिया गांव का निवासी बताता है न कि नोटिस में अंकित पते का। ऐसे में अभियुक्त को प्रेषित नोटिस भी विधिसम्मत प्रेषित नहीं किया जाना व उक्त क्रम में परिवादी को परिवाद कारण ही उत्पन्न नहीं होना साबित होता है। उक्त तथ्यों बाबत अभियुक्त की जिरह को देखें तो अभियुक्त ने स्वयं मोदियों की गली में नहीं रहना बताया जिसका खंडन करने में परिवादी असफल रहा। अभियुक्त ने स्वयं की साक्ष्य में परिवादग्रस्त चैक की इबारतें स्वयं की कलमी नहीं होना, चैक परिवादी को नहीं देना, परिवादी के रिश्तेदार मोहन को देना व परिवादी द्वारा मोहन से मिलकर दुरुपयोग करना बताया जो तथ्य परिवादी द्वारा स्वयं की साक्ष्य में कथित कथनों के क्रम में अभियुक्त के आधार को बल प्रदान करती है क्योंकि परिवादी परिवादग्रस्त चैक बाबत कोई तथ्य नहीं बता सका। इस प्रकार अभियुक्त परिवादी की साक्ष्य से ही संभावना बाहुल्य के सिद्धांत के क्रम में परिवादी द्वारा स्वयं को सामान बेचने, राशि बकाया होना व परिवादग्रस्त चैक देना, चैक से संबंधित तथ्य, उभय पक्षकारों के बैंक इत्यादि तथ्यों बाबत व महत्वपूर्ण रूप से रामभरोसे हार्डवेयर का प्रोपराईटर परिवादी स्वयं होने व हस्तगत प्रकरण की कार्यवाही करने, चैक का विधिक अनुक्रम में धारक परिवादी होना इत्यादि तथ्यों बाबत गंभीर संशय उत्पन्न कर दिया जिस संशय का परिवादी निवारण नहीं कर सका।

09. इस प्रकार उपर्युक्त समग्र विवेचनानुसार पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित नहीं होने से अभियुक्त द्वारा संभावना बाहुल्य द्वारा गंभीर संशय उत्पन्न होने से अभियुक्त को परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

10. परिणामतः अभियुक्त **प्रकाश पुत्र रमजी, निवासी लितरिया हाल मोदियों की गली मैन बाजार, पुलिस थाना, जैतारण, जिला ब्यावर** को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम में **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है। अभियुक्त की पूर्व नियमित उपस्थिति बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

अभियुक्त को आदेश दिया जाता है कि वह धारा 437–ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत 20,000/–रुपये का जमानत व इसी कदर राशि का मुचलका इस आशय का पेश करें कि वह इस निर्णय के विरुद्ध अपील होने की सूरत में अपीलीय न्यायालय में उपस्थित हो जाएगा।

(ज्योति पटेल)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जैतारण, जिला ब्यावर

11. उक्त निर्णय आज **दिनांक 15.07.2026** को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर व मुद्रांकन सुनाया गया।

(ज्योति पटेल)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जैतारण, जिला ब्यावर